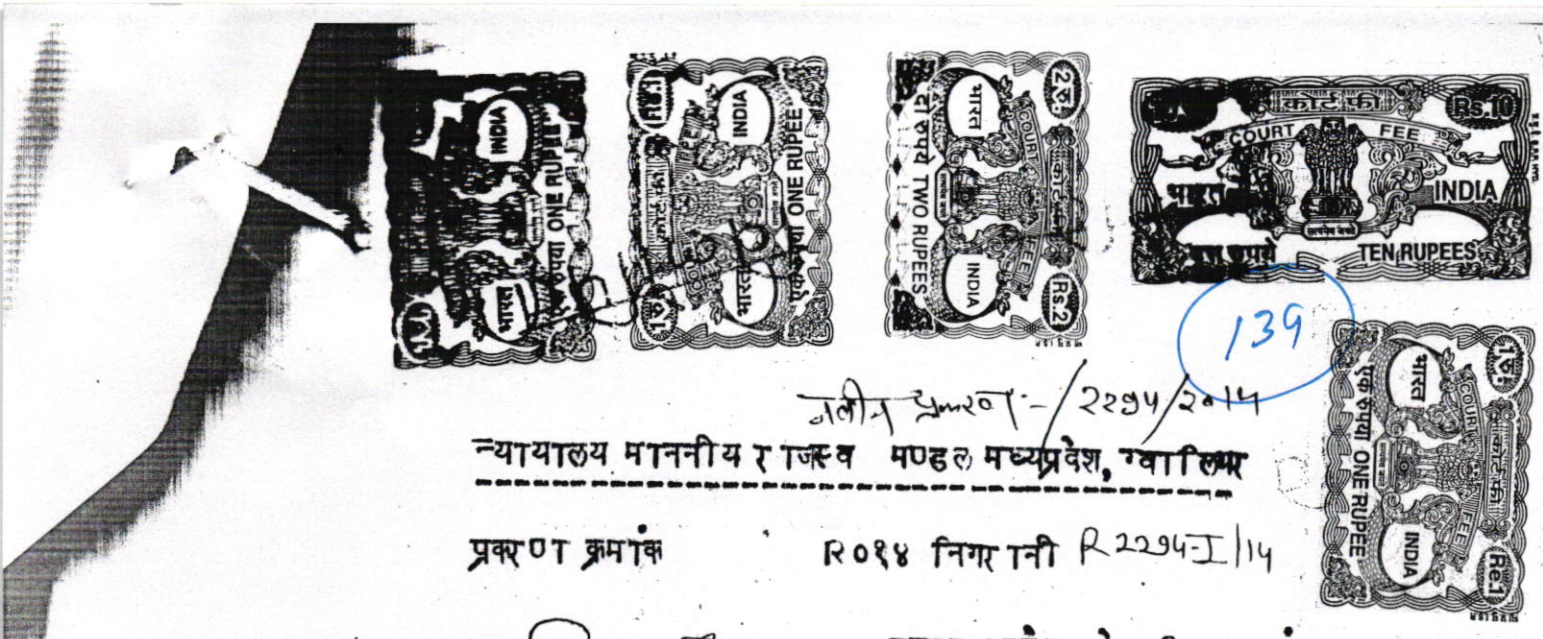

139

जलीय प्रकरण- /2294/2014

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक R०१४ निगरानी R2294-I/14

द्वारा ... प्रस्तुत 28-7-14

क्लर्क ऑफ कोर्ट 28-7-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

कृष्णा वल्देव लोक विकास संस्थान द्वारा ट्रस्टी शिवप्रकाश सिंह पुत्र श्री शिवनारायण सिंह भदोरिया निवासी गढ़ी, तहसील- मेंहगांव जिला भिण्ड (मध्यप्रदेश) ।

------ प्रार्थी

विरुध्द

मध्यप्रदेश शासन ------ प्रतिप्रार्थी

निगरानी विरुध्द आदेश कलेक्टर महोदय भिन्ड दिनांक २६-५-१४, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता १९५९ प्र०क्र० ३१/१२-१३ स्व निगरानी ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, कलेक्टर महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, कलेक्टर महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रार्थी को सुनवाई का कोई अवसर ही नहीं मिला । प्रार्थी को न तो कोई कारण बताओ नोटिस ही दिया गया और न ही विवादित आदेश ही उसे संसूचित किया गया ऐसी स्थिति में विवादित आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है ।

४- यह कि, विधि का यह सुस्थापित सिध्दान्त है कि किसी भी पक्ष को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके विरुध्द कोई भी आदेश पारित न किया जावे । वर्तमान प्रकरण में इस सुस्थापित सिध्दान्त की अवहेलना हुई है ।

(139)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2294-एक/14 **जिला** - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	